20रु. Rs.20
बीस रुपये TWENTY RUPEES

10रु. Rs.10
दस रुपये TEN RUPEES

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–छतरपुर

1. पूरनलाल पुत्र श्री रामदयाल
2. हरप्रसाद पुत्र श्री रामदयाल

निवासीगण ग्राम नैगुवां, तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.)

— आवेदकगण

विरूद्ध

कट्टू पुत्री समशेर खॉ मुसलमान, निवासी नैगुवा, हाल निवासी सुकवां तहसील व जिला छतरपुर (म.प्र.)

— अनावेदक

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 44/अ–6/2015–16/अपील में पारित आदेश दिनांक 23.10.2017 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों व आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, आवेदकगण द्वारा ग्राम नैगुवां, में स्थित भूमि खसरा कमांक 324, 325, 336 रकवा क्रमशः 0.62, 0.90, 1.65 एकड़ कुल रकवा 3.24 एकड़ भूमि विकय पत्र के माध्यम से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया था और उक्त विक्रयपत्र के आधार पर नामांतरण पंजी क्रमांक 35 में पारित आदेश दिनांक 02.08.1971 से नामान्तरण स्वीकार किया गया। उक्त नामान्तरण आदेश के समय किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की थी और नामान्तरण पंजी पर विधिवत प्रक्रिया का पालन करते हुए नामान्तरण आदेश पारित किया गया था।
2. यहकि, उक्त नामान्तरण पंजी में पारित आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी, जो स्पष्टतः अवधि वाह्य थी, जिसके संबंध में आवेदकगण की ओर से

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर 2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/4091 पूरनलाल विरूद्ध कट्टू

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17-12-2018	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक पूरनलाल की ओर से अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी एवं अनावेदिका की ओर से अभिभाषक श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 44/अ-6/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 23-10-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 09-11-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

17.12.18

के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

17.12.18

(आर.के. जैन)
सदस्य